CANCELLED
भारत INDIA
TEN RUPEES

(194)

-1-

समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल महोदय, म.प्र.

केंप, नागपुर

श्री ... अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
हस्ताक्षर
19 DEC 2008
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

पुनरीक्षण कमांक /08

R-1683-II/08

आवेदकगण :- पुनरीक्षणकर्तागण

1. भाउसाब आत्मज गोविन्दराव मुलक निवासी खामना रोड, नागपुर महाराष्ट्र (मृत्यु)

(1) श्रीमति ... मुलक (2) श्री ... मुलक दोनो निवासी ... नागपुर महाराष्ट्र

आदेश दि. 26/4/20.. (28) ...

विरुध्द

अनावेदकगणः-

1. प्रतुल आत्मज मुकुन्दराव पराते

2. अश्विन आत्मज मुकुन्दराव पराते

दोनों निवासी सुभाषवार्ड, तहसील पांढुरना जिला छिंदवाड़ा

3. गोपाल आत्मज गणपत सोनकुसरे निवासी मांगुरली, तहसील पांढुरना, जिला छिंदवाड़ा

आज दिनांक 22-12-08 को आयुक्त कार्यालय जबलपुर से प्राप्त
22-12-08

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण / पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह पुनरीक्षण न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा प्र.क. 758/अ-6/05-06 में पारित आदेश दिनांक 08.10.08 से परिवेदित होकर निम्न तथ्यो एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि अनावेदक क.1 व 2 द्वारा दिनांक 20.01.03 को नायब तहसीलदार पाण्ढुरना वृत्य नान्दनवाड़ी के न्यायालय में इस आश्य का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि वे मौजा रिंगनखापा ब. न. 349 प.ह.न. 15 की भूमि ख.न. 309/4 रकवा 2.79 हेक्टेयर उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की है। दिनांक 22.07.02 को राजस्व निरीक्षक द्वारा सीमांकन किया गया। सीमांकन में 2.000 हे. भूमि पर पुनरीक्षणकर्ता का एवं 0.792 हे. पर अनावेदक क.3 का बेजा कब्जा होना बताया गया।

R-1683 II/08 (छिंदवाड़ा)

25/5/16	आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं। अनावेदक की ओर से श्री संजय शर्मा अभि. उप.। आवेदक अभि. पूर्व पेशी पर उप. थे. आज अनुपस्थित हैं, समय 2 बजे उन्हें पुकार आवाज लगवाई गई किंतु कोई उप. नहीं है. अतः प्रकरण आवेदक की अनुपस्थिति के कारण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है।	आगे [illegible] 25/5/16 वास्ते [illegible] (संजय शर्मा) अधि.